राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

क्रमांकः आरएफसी/लॉ/एलपीएम-3(11)/5206 04.02.2003

" परिपत्र "

विधिक परिपत्र संख्याः 87/2003

शासन विधि सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.1(7)डीएलआर/एल/96 दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 की अनुपालना में यह परिपत्र जारी किया जाकर लेख है कि प्रायः यह देखने में आ रहा है कि पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालयों में दीवानी दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र/अपील इत्यादि प्रस्तुत करते समय राजस्थान राज्य को जरिये मुख्य सचिव अनावश्यक पक्षकार बना लेते हैं, जबकि दीवानी प्रक्रिया संहिता का धारा-79 एवं 80 में यह प्रावधान है कि किसी भी पक्षकार द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध दीवानी वाद प्रस्तुत करते समय राज्य को विभाग के शासन सचिव अथवा जिला क्लेक्टर के जरिये पक्षकार बनाया जाना चाहिये इसी के साथ विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली, 1999 के नियम-116 में भी यही प्रावधान है कि राज्य सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने के लिए शासन सचिव अथवा क्लेक्टर के जरिये राज्य को पक्षकार बनाया जाना चाहिये ।

अतः निर्देशानुसार निगम के समस्त संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि जैसे ही मुख्य सचिव के नाम से दीवानी वाद/प्रार्थना पत्र/अपील इत्यादि में कोई नोटिस आदि प्राप्त हो तो वे प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करें कि वह प्राथमिक रूप से न्यायालय में यह आपत्ति प्रस्तुत करावें कि दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा-79 एवं 80 व विधि एवं विधिक मामलात विभाग नियमावली, 1999 के प्रावधान के अनुसार शासन सचिव अथवा क्लेक्टर के जरिये ही राज्य को पक्षकार बनाया जा सकता है । इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र/अपील के शीर्षक (टाइटल) में दुरूस्ति की जाये एवं मुख्य सचिव को जो पक्षकार बनाया है, वह "पक्षकार अनावश्यक" होने से दावे/प्रार्थना पत्र/अपील हटाया जाये ।

इस परिपत्र की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जाये ।

(जे0 पी0 विमल)
कार्यकारी निदेशक

प्रतिलिपिः

1. समस्त क्षेत्रीय/शाखा/उप शाखा कार्यालय, राज. वित्त निगम
2. स्टेण्डर्ड सकूलेशन, मुख्यालय.